न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 191/14/दावा

1. परमेश्वरी देवी पत्नी भागीरथ मल आयु 45 साल
2. नारायणी देवी पत्नी कुरड़ाराम आयु 50 साल
   समस्त जाति बलाई निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीयागण

ब ना म

1. रामदेव पुत्र मालाराम जाति बलाई निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. बिमलादेवी पत्नी रामदेव जाति बलाई निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. पटवारी, पटवार मंडल खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, शून्य प्रभावहीन घोषित करने
बक्सीसनामा दिनांक 10.4.14 एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादीयागण की ओर से

निर्णय दिनांक— 01.08.2017

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित कृषि आराजियात खसरा नं. 4245/340 रकबा 0.20 है0 पुराने खसरा नं. 340 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2067—70 के मुताबिक उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारीशुदा कृषि भूमि थी जिसकी वर्तमान खातेदारी जरिये ना.करण सं. 2982 दिनांक 05.05.2014 बक्सीसनामा दिनांक 10.04.2014 के प्रतिवादी सं. 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 बहुत ही तेज, चालाक व्यक्ति है जिसने अपनी खातेदारीशुदा उक्त भूमि के खसरा नं. 340 रकबा 0.54 है0 में से 0.18 है0 भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक — 06.08.2007 को वादीयागण के पक्ष में स्वेच्छा से करवा दिया था तथा केतागण से उक्त विक्रीत भूमि की प्रतिफल राशि 52,000 रू. विक्रय के दिन नकल प्राप्त कर विक्रीत भूमि का कब्जा वास्तविक एवं भौतिक रूप से वादीयागण सं. 1 व 2 को संभला दिया तब से लेकर आज तक वादीयागण सं. 1 व 2 उक्त वादग्रसत संपदा पर शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा वादग्रस्त भूमि पर सपरिवार आवास निवास

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

करती आ रही है। उक्त विक्रीत भूमि रकबा 0.18 है. से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त नहीं है। क्रेतागण अर्थात् वादीयागण सं. 1 व 2 ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिलाएं है जिनको राज काज के कार्यो की जानकारी नहीं होने से अपने पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2007 का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में जरिये ना.करण आज तक नहीं करवाया है जिस वजह से वादीयागण का नाम विक्रेता के स्थान पर खातेदारी में नाम दर्ज नहीं हुआ है तथा विक्रेता का नाम यथावत रहने से उनके मन में बेईमान आ गई तथा उसने उक्त विक्रीत भूमि का बक्सीसनामा दिनांक 10.04.2014 को अपनी पत्नी बिमलादेवी प्रतिवादी सं. 2 के नाम गुपचुप में करवाकर खातेदारी जरिये ना0करण सं. 2982 दिनांक 05.05.2014 को जमाबंदी में दर्ज करवा ली जिसकी जानकारी वादीयागण को नहीं होने दी। विगत 5–7 दिन पूर्व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 वादीयागण के घर पर आकर धमकी देकर कहा कि उक्त वादग्रस्त भूमि से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उक्त भूमि की खातेदारी हमारे नाम से है यहां से अपना कब्जा हटाओ वरना हम भूमाफिया गिरोह से मिलकर लाठी एवं पैसों के बल पर बेदखल कर देंगे। वादीया सं. 1 के लड़के नरेन्द ने पटवारी से जाकर रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी निकाल कर देखा तो उसे जानकारी हुई कि पटवारी हल्का खाटूश्यामजी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से मिलकर विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2007 का ना.करण आज तक नहीं खोला तथा वादीयागण को धोके में रखकर प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त भूमि हड़पने की दुर्भावना से अपनी पत्नी बिमलादेवी के नाम से फर्जी नुमाईशी बक्सीसनामा साजकर तैयार करवाया हे जो कि वादीयागण के विरूद्ध शून्य, प्रभावहीन घोषित होने योग्य है इसलिए प्रार्थीयागण/वादीयागण को क्रयशुदा भूमि रकबा 0.18 है0 का काबिज काश्तकार एवं खातेदार उद्घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम खाटूश्यामजी में अवस्थित है जिसके बाजार भावों में अप्रत्यासित वृद्धि होने से अप्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गई है। अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 व 2 खातेदारी की आड़ में वादग्रस्त भूमि को दीगर अजनबी व्यक्ति को स्थानांतरित करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीयागण/वादीयागण को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति कानून में कहीं भी संभव नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वाद कारण दिनांक 18.08.2014 को वादीयागण को प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा उनकी कब्जेशुदा भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकियां दिये जाने से उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर एवं निर्बाध रूप से जारी है। तहसीलदार एवं उप पंजीयक लोकसेवक एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व 80 सीपीसी का विधिक नोटिस 2 माह पहले प्रेषित कर ही दावा करने का प्रावधान है किन्तु हस्तगत प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का होने से उक्त बाबत उन्मुक्ति चाहने हेतु धारा 80(2) सीपीसी का आवेदन पृथक से पेश कर दावा दायर करने हेतु न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर दावा पेश किया जा रहा हैं वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित होने से माननीय न्यायालय को हस्तगत वाद पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दावा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी

Scanned by CamScanner

किया जाकर वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि बाबत उद्घोषणा इस आशय की फरमाई जावें कि बक्सीसनामा दिनांक 10.04.2014 प्रार्थीयागण/वादीयागण के विरूद्ध शून्य प्रभावहीन घोषित कर निरस्त किया जाता है। वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को खातेदारी की आड़ में बेचान करने, रहन रखने, कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने एवं प्रार्थीयागण/ वादीयागण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने, जबरन बेदखल करने, मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने से मय नौकर, एजेंट परिवारजन इत्यादि हमेशा के लिए बाज रहे।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीयागण ने मूल विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2007 विक्रेता रामदेव बहक केतागण श्रीमती परमेश्वरीदेवी पत्नी भागीरथमल व श्रीमाती नारायणीदेवी पत्नी स्व. कुरड़ाराम जाति बलाई नि0गण खाटूश्यामजी एव प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2063–66, प्रमाणित प्रतिलिपि आर्डरशीट स्टे आवेदन भागीरथ बनाम मूलचनद आदि दिनांक 19.05.2008, प्रमाणित प्रतिलिपि फौजदारी प्रकरण सं0 453/2014 सरकार बनाम रामदेव के दस्तावेजात पेश किये। वादीयागण द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र वादीया परमेश्वरी देवी का पेश किया एवं दस्तावेजात एक्जी0 करवाये गये एवं वादीया नारायणीदेवी एवं गवाह सोहनलाल पुत्रश्री बालूराम उम्र 55 वर्ष जाति बलाई नि. खाटूश्यामजी के पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये।

3. बहस वादीयागण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीयागण ने वाद में वर्णित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराया गया एवं कथन किया कि वादीयागण का वाद डिक्री फरमाया जावें एवं बक्सीसनामा दिनांक 10.04.2014 वादियागण के विरूद्ध शून्य प्रभावहीन घोषित कर निरस्त की जावें।

4. हमने वादीयागण के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। वकील वादीयागण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2007 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता रामदेव पुत्रश्री मालाराम उम्र 40 वर्ष जाति बलाई नि. खाटूश्यामजी तहसील दांतारामढ जिला सीकर के द्वारा दिनांक 06.08.2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी भागीरथमल व श्रीमती नारायणीदेवी पत्नी स्व. कुरड़ाराम जाति बलाई नि. खाटूश्यामजी के पक्ष में वाके ग्राम खाटूश्यामजी की तन में अवस्थित भूमि ख.नं. 340 रकबा 0.54 है. में से हिस्से 1/2 में से शेष 4/5 हिस्से में से 5/6 हिस्से यानि संपूर्ण में से 1/3 हिस्से की 0.18 है. भूमि संपूर्ण का बेचान किया गया है। वकील वादियागण द्वारा अपने दावा के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2063–66 एवं 2067–70 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर एवं फौजदारी प्रकरण सं. 453/2014 सरकार बनाम रामदेव आदि अं.धारा 420, 120–बी आईपीसी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा एक तरफ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खसरा नं0 पुराना 340 रकबा 0.54 है0 में से अपने हिस्से 1/ में से शेष 4/5 हिस्से में से 5/6 हिस्से यानि संपूर्ण में से 1/3 हिस्से की 0.18 है0 भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2007 वादियागण को बेचान किया गया है एवं

खण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

विक्रय पत्र में अंकित किया गया है कि मेरे हिस्से 1/2 में से 1/5 हि. यानि संपूर्ण में से 1/10 हि. की भूमि का बेचान पूर्व में मेरे द्वारा किया जा चुका है जिसका राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं हुआ है। उक्त विक्रय पत्र को किसी समक्ष न्यायालय में चुनौती दी गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। चूंकि् खातेदार/प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान किये जाने के बावजूद राजस्व अभिलेख में अमल दरामद न होने से अन्य सहखातेदारान से मिलकर आपसी सहमति बंटवारा पेश कर बंटवारा करवाकर जरिये ना.करण 1451 विभाजन दिनांक 10.04.2008 के द्वारा अपने नाम खसरा नं. 340 में से विभाजन के द्वारा 340/2 रकबा 0.20 है0 अपने नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन करवा लिया जबकि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा बेचने के पश्चात् मात्र 0.02 है0 भूमि बचती है। उक्त खसरा नंबर का नवीन खसरा नंबर 4245/340 कुल रकबा 0.20 है0 है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त खातेदारी भूमि खसरा नं. 4245/340 रकबा 0.20 है0 की बक्सीसनामा अपनी पत्नी विमलादेवी ध.प. रामदेव जाति बलाई सा.देह के नाम किये जाने पर जरिये ना.करण सं. 2982 दिनांक 05.05.2004 के द्वारा अभिलेख में दर्ज होकर नवीन जमाबंदी संवत् 2067–70 वाके ग्राम खाटूश्यामजी में दर्ज हो चुकी है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपने हिस्से की 0.20 है0 में से 0.18 है0 भूमि का पूर्व में वादीयागण परमेश्वरी देवी पत्नी भागीरथमल व नारायणी देवी पत्नी श्री कुरड़ाराम जाति बलाई निवासीगण खाटूश्यामजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2007 के द्वारा बेचान कर चुका है तथा तत्पश्चात् अपनी पत्नी को बक्सीसनामा करने से इनके विरूद्ध न्यायालय में अपराध सं. 123/2014 अं.धारा 420, 120–बी आईपीसी का दर्ज हुआ है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2007 को वादीयागण के पक्ष में बेचान कर चुका है जिसका अमल दरामद नहीं हुआ है तथा उक्त विक्रय पत्र को विक्रेता द्वारा निरस्त नहीं करवाया है इसके बावजूद विक्रेता/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को अपनी पत्नी प्रतिवादी सं. 2 के नाम बक्सीस नामा दिनांक 10.04.2014 तस्दीक करवाया दिया जिसका उसको कोई अधिकार नहीं था वह बक्सीसनामा व उसकी पालना में हुए अमल दरामद शून्य घोषित योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वाद वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा विक्रय पत्र दिनाक 06.08.2007 बहक परमेश्वरी देवी आदि खसरा नं. 340 रकबा 0.54 है0 में से 0.18 है0 (वर्तमान खसरानं. 4245/340 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो तथा पश्चात्वर्ती बक्सीसनामा दिनांक 10.04.2014 एवं उसकी पालना में हुए राजस्व अभिलेख में अमल दरामद शून्य घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार, दांतारामगढ को अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 01.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 191/14/दावा

1. परमेश्वरी देवी पत्नी भागीरथ मल आयु 45 साल
2. नारायणी देवी पत्नी कुरड़ाराम आयु 50 साल

समस्त जाति बलाई निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीयागण

ब ना म

1. रामदेव पुत्र मालाराम जाति बलाई निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. बिमलादेवी पत्नी रामदेव जाति बलाई निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. पटवारी, पटवार मंडल खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, शून्य प्रभावहीन घोषित करने
बक्सीसनामा दिनांक 10.4.14 एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादीयागण की ओर से

निर्णय दिनांक— 01.08.2017

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आरएएस

परमेश्वरीदेवी आदि बनाम रामदेव आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, शून्य, प्रभावहीन घोषित करने बक्सीसनामा दिनांक 10.04.2014 एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 191/दावा/2014 निर्णय दिनांक 01.08.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सत्यवीर यादव आरएएस बहाजरी श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुद्दई एवं –– मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। अतः वाद वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा विक्रय पत्र दिनाक 06.08.2007 बहक परमेश्वरी देवी आदि खसरा नं. 340 रकबा 0.54 है0 में से 0.18 है0 (वर्तमान खसरानं. 4245/340 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो तथा पश्चात्वर्ती बक्सीसनामा दिनांक 10.04.2014 एवं उसकी पालना में हुए राजस्व अभिलेख में अमल दरामद शून्य घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार, दांतारामगढ को अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 अगस्त, 2017 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00			
मीजान	11	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner